

11.09.17

आवेदक द्वारा अधि. श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता ।
अनावेदकगण अनिर्वाहित ।

आवेदक की ओर से यह याचिका 25.08.15 को प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात दिनांक 18.09.15 से अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु तलवाना पेश करने हेतु बार-बार आवेदक को निर्देशित किया जा रहा है। किंतु 8 अवसर देने के पश्चात भी आवेदक की ओर से अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु आज तक तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः आवेदक की ओर से यह याचिका आदेश 9 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर जिला जज गोहद